भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3006**

जिसका उत्तर 06.08.2026 को दिया जाना है

**भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि राशि पोर्टल**

3006. श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा:
श्री विजय बघेल:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्री प्रवीण पटेल:
श्री रमेश अवस्थी:
श्री दुलू महतो:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री जनार्दन मिश्रा:
श्री जुगल किशोर:
श्री अरुण गोविल:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री आशीष दुबे:
श्री बंटी विवेक साहू:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि राशि पोर्टल के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त पोर्टल के माध्यम से अधिग्रहित की गई भूमि, प्रभावित किसानों/भूमि स्वामियों और उन्हें भुगतान किए गए मुआवजे का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के डिजिटलीकरण और पोर्टल के माध्यम से मुआवजे के प्रत्यक्ष वितरण में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और विशेषकर पंजाब में इसकी वर्तमान स्थिति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के तहत पारदर्शिता में सुधार करने, भूमि अधिग्रहण में देरी को कम करने, लंबित मामलों को सुलझाने और किसानों की शिकायतों का निवारण करने के लिए कोई विशेष उपाय और कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और प्रभावित भूमि स्वामियों को मुआवजे के समय पर वितरण में सुधार करने पर उक्त पोर्टल का क्या प्रभाव पड़ा है और इसका राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(च) कार्याधीन और आगामी राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना परियोजना का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड़) भूमिराशि पोर्टल एक केंद्रीय रूप से निगरानी किया जाने वाला पोर्टल है और इसके विकास की नियमित रूप से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में केंद्र सरकार द्वारा समीक्षा की जाती है।

भूमिराशि पोर्टल का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिसूचनाओं के ऑनलाइन प्रसंस्करण के लिए एक एकल मंच प्रदान करना है, ताकि भारत में राजमार्ग अवसंरचना विकास परियोजनाओं में तेजी लाई जा सके और लाभार्थियों को मुआवजे का वितरण सुनिश्चित किया जा सके। भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं के प्रसंस्करण के लिए पोर्टल को अनिवार्य कर दिया गया है। उक्त उद्देश्यों के लिए पोर्टल को अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया था। पोर्टल जीआईएस-आधारित अधिग्रहण मानचित्रों के निर्माण में सहायता करता है और भूमि मालिकों को मुआवजे के वितरण में सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और आधार-आधारित प्रमाणीकरण के साथ एकीकृत किया गया है। भूमिराशि पोर्टल ने अपने ऑनलाइन प्रसंस्करण के माध्यम से वैधानिक अधिसूचनाओं के लिए लगने वाले औसत समय को कम कर दिया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, परियोजना-आधारित और एक सतत प्रक्रिया है। भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) प्रतिकर निर्धारण अधिनिर्णय (अवार्ड) तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। भूमिराशि पोर्टल के माध्यम से अधिग्रहित कुल भूमि लगभग 1,88,690 हेक्टेयर है (विवरण अनुलग्नक-क में संलग्न है) और वितरित मुआवज़ा लगभग ₹ 53,196 करोड़ है। हालांकि, मुआवज़े का दावा करने वाले पक्षों के बीच स्वामित्व विवाद और मुआवज़े के बंटवारे का मामला अधिकार क्षेत्र रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय को भेजा जाता है और निर्धारित मुआवज़े की राशि न्यायालय में जमा की जाती है।

सरकार का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थानों, राज्य की राजधानियों आदि में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में शामिल केंद्रीय एवं राज्य के अधिकारियों के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण प्रशिक्षण/कार्यशालाओं का आयोजन किया है। भूस्वामियों को अपनी शिकायतों के

समाधान के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत आपत्तियां और मध्यस्थता तंत्र, केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) आदि जैसे उपाय उपलब्ध हैं।

भूमि अधिग्रहण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से की जाती है। इसके लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के नेतृत्व में समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं, जहां यदि कोई अनसुलझे मुद्दे हों, तो उन्हें परियोजना निगरानी समूह और "प्रगति" के माध्यम से आगे की समीक्षा के लिए उठाया जाता है।

(च) वर्तमान में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण, परियोजना पूर्णता प्राप्त किए बिना और समाप्ति/फोरक्लोजर के लिए विचाराधीन परियोजनाओं को छोड़कर, अनुलग्नक-ख में संलग्न है।

अनुलग्नक-क

भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि राशि पोर्टल के संबंध में श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और अन्य द्वारा दिनांक 06.08.2026 को पूछे गए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3006 के भाग (क) से (ड़) के उत्तर में उल्लिखित अनुग्नक

भूमिराशि पोर्टल के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अधिग्रहित कुल भूमि का विवरण इस प्रकार है:

| क्रम संख्या | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | अधिग्रहित कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| 1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 0 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 17720.53 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 0 |
| 4 | असम | 3679.17 |
| 5 | बिहार | 8991.23 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0 |
| 7 | छत्तीसगढ | 4314.18 |
| 8 | दादरा, नगर, हवेली, दमन और दीव | 2.36 |
| 9 | दिल्ली | 326.87 |
| 10 | गोवा | 268.4 |
| 11 | गुजरात | 6521.37 |
| 12 | हरियाणा | 16136.51 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 1313 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 1514.46 |
| 15 | झारखंड | 7560.99 |
| 16 | कर्नाटक | 11256.55 |
| 17 | केरल | 1618.56 |
| 18 | लद्दाख | 46.34 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 16437.49 |
| 21 | महाराष्ट्र | 11628.34 |

| | | |
|---|---|---|
| 22 | मणिपुर | 1463.09 |
| 23 | मेघालय | 469.23 |
| 24 | मिजोरम | 1456.8 |
| 25 | नागालैंड | 0 |
| 26 | ओडिशा | 5257.49 |
| 27 | पुदुचेरी | 796.83 |
| 28 | पंजाब | 12042.34 |
| 29 | राजस्थान | 16682.38 |
| 30 | सिक्किम | 188.04 |
| 31 | तमिलनाडु | 7467.95 |
| 32 | तेलंगाना | 8688.41 |
| 33 | त्रिपुरा | 1046.1 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 18717.26 |
| 35 | उत्तराखंड | 2226.37 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 2851.52 |
| **कुल** | | **188690.16** |

अनुलग्नक-ख

भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि राशि पोर्टल के संबंध में श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और अन्य द्वारा दिनांक 06.08.2026 को पूछे गए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3006 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की वह संख्या, जो वर्तमान में निर्माणाधीन हैं और जिनका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है तथा जिन परियोजनाओं को समाप्त करने/फोरक्लोजर के लिए विचार चल रहा है, उन्हें छोड़कर, निम्नलिखित है:

| **क्रम संख्या** | **राज्य / संघ राज्य क्षेत्र** | **परियोजनाओं की संख्या** |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 69 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 14 |
| 3 | असम | 52 |
| 4 | बिहार | 67 |
| 5 | छत्तीसगढ | 38 |
| 6 | दिल्ली | 0 |
| 7 | गोवा | 15 |
| 8 | गुजरात | 40 |
| 9 | हरियाणा | 16 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 28 |
| 11 | जम्मू और कश्मीर | 38 |
| 12 | झारखंड | 36 |
| 13 | कर्नाटक | 77 |
| 14 | केरल | 16 |
| 15 | लद्दाख | 7 |
| 16 | मध्य प्रदेश | 65 |
| 17 | महाराष्ट्र | 118 |
| 18 | मणिपुर | 27 |
| 19 | मेघालय | 12 |
| 20 | मिजोरम | 17 |
| 21 | नागालैंड | 19 |
| 22 | ओडिशा | 49 |
| 23 | पुदुचेरी | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 24 | पंजाब | 31 |
| 25 | राजस्थान | 36 |
| 26 | सिक्किम | 11 |
| 27 | तमिलनाडु | 42 |
| 28 | तेलंगाना | 43 |
| 29 | त्रिपुरा | 12 |
| 30 | उत्तर प्रदेश | 87 |
| 31 | उत्तराखंड | 74 |
| 32 | पश्चिम बंगाल | 29 |
| 33 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 3 |
| 34 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 2 |

*****